

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4/निदे०आ०वि०संधा०(वे०आ०)-46-02/2025-320

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
जिला कल्याण पदाधिकारी,
अररिया, किशनगंज एवं मधुबनी।

पटना, दिनांक-09/03/2026

विषय:—वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल ₹2,10,53,000/- (दो करोड़ दस लाख तीरपन हजार रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश सं०-01 दिनांक-02.04.2025, आवंटनादेश सं०-07 दिनांक-05.04.2025, आवंटनादेश सं०-52 दिनांक-28.04.2025, आवंटनादेश सं०-74 दिनांक-03.06.2025, आवंटनादेश सं०-93 दिनांक-25.06.2025, आवंटनादेश सं०-101 दिनांक-07.07.2025, आवंटनादेश सं०-128 दिनांक-01.08.2025, आवंटनादेश सं०-162 दिनांक-22.08.2025, आवंटनादेश सं०-172 दिनांक-11.09.2025, आवंटनादेश सं०-210 दिनांक-24.10.2025, आवंटनादेश सं०-225 दिनांक-12.11.2025, आवंटनादेश सं०-227 दिनांक-12.11.2025, आवंटनादेश सं०-233 दिनांक-20.11.2025, आवंटनादेश सं०-248 दिनांक-09.12.2025, एवं आवंटनादेश सं०-298 दिनांक-29.01.2026 के द्वारा आवंटन दिया गया था।

उपरोक्त आवंटित राशि से जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के द्वारा निम्न प्रकार से राशि प्रत्यार्पित की गई है, जिसे स्वीकार किया जाता है:-

क्र०सं०	जिला का नाम	सामग्री एवं पूर्तियाँ मद	अभियुक्ति
1	नवादा	50000000	पत्रांक-424 दिनांक-18.02.2026 द्वारा प्रत्यार्पित
	कुल योग	50000000	50000000

2—उपरोक्त कुल ₹50000000/- (पाँच करोड़ रु०) मात्र का प्रत्यार्पित राशि से संबंधित जिलों से माँग के आलोक में सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में प्रत्यार्पित राशि से संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹2,10,53,000/- (दो करोड़ दस लाख तीरपन हजार रु०) मात्र की राशि का पुर्णावंटन/आवंटन दिया जाता है।

3—कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में विपत्र कोड सं०-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4—इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5—वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7-संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

8- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-46-02 / 2025- 320

पटना, दिनांक-09/03/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग. बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/ आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि की विवरणी।

क्र०सं०	जिला का नाम	सामग्री एवं पूर्तियाँ मद (21.01)	कुल योग
1	अररिया	3000000	3000000
2	किशनगंज	7000000	7000000
3	मधुबनी	11053000	11053000
	कुल योग	21053000	21053000

(राशि रू० में)

कुल (दो करोड़ दस लाख तीरपन हजार रू०) मात्र

निदेशक